अध्याय-6: सामान्य सेवाएं

अध्याय-6 : सामान्य सेवाएं

6.1 ई-गवर्नेंस

हिमाचल प्रदेश सरकार ने नागरिकों को सिंगल विंडो के माध्यम से 50 सेवाओं को एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए विभिन्न जिलों में (किन्नौर जिला सहित) अगस्त 2005 से उप-तहसील स्तर तक एकीकृत सामुदायिक सेवा केन्द्रों, जिन्हें 'सुगम' केन्द्रों के नाम से भी जाना जाता है, को स्थापित करना आरम्भ किया। एकीकृत सामुदायिक सेवा केन्द्रों का 'सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई-गवर्नेंस के प्रोत्साहन हेतु संस्था' के सहयोग सहित जिला ई-गवर्नेंस संस्था द्वारा संचालन एवं प्रबन्धन किया जाता है। सुगम केन्द्र इन्टरनेट की पहुंच उपलब्ध करवाकर विकास के लिए एक साधन के रूप में भी कार्य करते हैं जो अधिक तेज संचार तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक न्याय एवं महिला कल्याण तथा ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्रों में सूचना को आसानी से पहुंच बनाने में मदद करता है।

♦ सेवाएं

सुगम केन्द्रों का लक्ष्य राजस्व अभिलेखों, जन्म/ मृत्यु, जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, मूल निवास स्थान इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों को जारी करना, चालक लाइसेंसों, परिचालक लाइसेंसों इत्यादि को जारी करना, वाहनों का पंजीकरण तथा कर-संग्रहण, कृषि/ बागवानी से जुड़ी सूचना से सम्बन्धित इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं तथा अन्य उपयोगिता सेवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग जैसे हिमभूमि, हिमरिस, ई-प्रमाण, सारथी एवं ई-शस्त्र, वाहन, ई-कल्याण, ई-पहचान आदि के प्रयोग द्वारा उपलब्ध करवाना था।

♦ सुगम केन्द्रों की कार्यप्रणाली

प्रशासकीय मार्गदर्शनों के अनुसार स्थल को प्रदर्शित करते हुए प्रमुख स्थानों पर लगाए गए प्रदर्शन बोर्डों तथा सुगम स्टैंडर्ड प्रतीक वाले बैकलिट प्रदर्शन बोर्डों सहित नागरिकों को सुगम पहुंच योग्य भवनों/ स्थानों में किन्नौर जिला में छः[1] स्थानों पर सुगम केन्द्रों की स्थापना की जानी थी। छः स्थानों में से तीन को नमूना-जांच के लिए चुना गया।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि जिले में सुगम केन्द्रों को उपयुक्त कार्य स्थल की अनुपलब्धता तथा मानव शक्ति की कमी के कारण जुलाई 2012 तक स्थापित नहीं किया गया था। तथापि, कुछ सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के माध्यम से प्राधिकारियों के द्वारा प्रदान की जा रही थी।

वाहन/ सारथी से जुड़ी सेवाएं उप-मण्डलीय कार्यालयों में उपलब्ध करवाई जा रही थी, हिमभूमि तथा ई-प्रमाण तीन नमूना-जांचित स्थानों में सभी केन्द्रों के तहसील कार्यालयों में तथा ई-कल्याण/ ई-पहचान से जुड़ी सेवाएं कार्यालय के जिला कल्याण अधिकारी, कल्पा स्थित रिकांगपिओ में उपलब्ध करवाई जा रही थी।

प्रत्येक सुगम केन्द्र पर प्रदान की जाने वाली कुल 50 सेवाओं में से जिला, उप-मण्डल तथा तहसील/ उप-तहसील स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं क्रमशः 37, 35 तथा 33 थी जबकि शेष सूचनात्मक सेवाएं इन्टरनेट पर उपलब्ध थी।

---

[1] उप-मण्डलीय कार्यालय कल्पा स्थित रिकांगपिओ, तहसील कार्यालय कल्पा,
उप-मण्डलीय कार्यालय निचार, तहसील कार्यालय निचार,
उप-मण्डलीय कार्यालय पूह, तहसील कार्यालय पूह।

किन्नौर जिले में नमूना-जांचित तीन स्थानों (कल्पा स्थित रिकांगपिओ, पूह एवं निचार स्थित भावानगर) सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली तथा वास्तविक रूप से उपलब्ध सेवाओं की स्थिति निम्न **तालिका-28** में दर्शाई गई है:

तालिका-28

प्रदान की जाने वाली सेवाओं की कुल संख्या		वास्तव में उपलब्ध करवाई गई सेवाएं
जिला स्तर	37	7 (वाहन, सारथी, हिमभूमि, ई-प्रमाण, ई-कल्याण, ई-शस्त्र तथा ई-समाधान) सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के द्वारा
उप-मण्डल स्तर	35	4 (वाहन, सारथी, हिमभूमि तथा ई-प्रमाण) सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के द्वारा
तहसील स्तर	33	2 (हिमभूमि तथा ई-प्रमाण) सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के द्वारा

टिप्पणी: वाहन: वाहनों का पंजीकरण; सारथी: चालक लाइसेंस; हिमभूमि: भू-अभिलेखों की प्रतियां; ई-प्रमाण: विभिन्न प्रमाण पत्रों को जारी करना; ई-कल्याण: सामाजिक सुरक्षा पेंशन; ई-शस्त्र: हथियार लाइसेंस तथा ई-समाधान: शिकायतों का अनुश्रवण।

किन्नौर जिले में ई-गवर्नेंस के सुदृढ़ीकरण के लिए निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) ने नवम्बर 2008 में सुगम केन्द्रों की स्थापना के लिए ₹ पांच लाख जारी किए थे। इसमें से ई-गवर्नेंस सोसायटी रिकांगपिओ ने ₹ 1.42 लाख की राशि को कम्प्यूटर सहायक सामग्री की खरीद पर खर्च किया तथा ₹ 3.58 लाख की शेष राशि सुगम केन्द्रों की स्थापना न होने के कारण जुलाई 2012 तक बैंक खाते में अव्ययित पड़ी रही। नमूना-जांच के लिए चयनित तीन स्थानों पर ई- गवर्नेंस गतिविधियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा से निम्नलिखित उद्घाटित हुआ:

राज्य सरकार के निर्देशानुसार (नवम्बर 2007) जिला/ उप-मण्डल/ तहसील/ उप-तहसील स्तर पर स्थापित सभी केन्द्रों को एक ही प्रतीक तथा सामान्य सूचना पट्ट सहित एक सामान्य ब्रांड नाम 'सुगम' के अन्तर्गत शामिल किया जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि केन्द्र विभिन्न ब्रांड नाम जैसे 'ई-सेन्टर', 'भू-अभिलेख कम्प्यूटर केन्द्र' आदि का प्रयोग कर रहे थे अथवा स्थान को सूचित करने तथा इन केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाओं के लिए यथा निर्धारित कोई सूचना पट्ट नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप न केवल राज्य सरकार के निर्देशों का अपालन हुआ बल्कि जनता को परिहार्य असुविधा भी हुई।

छायाचित्र: 4

ई-सेन्टर का छायाचित्र, पूह (जुलाई 2012)

छायाचित्र: 5

कम्प्यूटर केन्द्र कल्पा स्थित रिकांगपिओ का छायाचित्र (जुलाई 2012)

- निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) द्वारा जारी किए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक सुगम केन्द्र भवन/स्थल में स्थित होना चाहिए जो स्थान को सूचित करने वाले परिसर में प्रमुख स्थान पर लगाए गए प्रदर्शन बोर्डों सहित नागरिकों को सुगमता से पंहुच योग्य हो। तथापि, लेखापरीक्षा दल द्वारा दौरा किए गए तीन नमूना-जांचित केन्द्रों के स्थल से सम्बन्धित कोई निर्देशन नहीं थे।

संक्षेप में किन्नौर जिले में ई-गवर्नेंस क्रियाकलापों के विषय में जुलाई 2012 तक तहसील से जिला स्तर तक प्रदान किए जाने के लिए परिकल्पित 33 से 37 मुख्य सेवाओं के प्रति मात्र दो से सात मुख्य सेवाओं को ही प्रदान किया जा रहा था।

सिफारिशें

सरकार विचार करे:

- *सभी जिलों तथा तहसीलों में सुगम केन्द्र के लिए समान रूप से एक मानकीकृत नाम एवं प्रतीक देना तथा सभी सेवाओं को एक छत के नीचे उपलब्ध करवाना।*
- *सुगम केन्द्रों के स्थान तथा दी जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार करना ताकि सामान्य जनता को उसकी मौजूदगी के बारे में जागरूक किया जा सके।*
- *अभिप्रेत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी चिन्हित स्थानों पर सुगम केन्द्रों की स्थापना के लिए जिला प्रशासन को तुरन्त कार्रवाई करने की सलाह देना।*

6.2 कानून और व्यवस्था

जिला पुलिस प्रशासन का नियंत्रण राज्य पुलिस मुख्यालयों द्वारा किया जाता है तथा जिले में पुलिस बल की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाती है जो कानून और व्यवस्था स्थिति की निगरानी रखता है। परिचालन दक्षता को सुधारने के लिए पुलिस अवसंरचना जैसे गतिशीलता, शस्त्रों, संचार, आवास आदि भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई "पुलिस बल का आधुनिकीकरण" स्कीम के द्वारा पुलिस शोध एवं विकास ब्यूरो के मानकों के अनुसार संवर्धित किया जाना था।

♦ योजना

पुलिस बल का आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत जिला पुलिस प्रशासन के लिए वाहन, शस्त्रों, उपकरण आदि की खरीद एवं आबंटन के लिए पुलिस मुख्यालय उत्तरदायी है। बल को आवास उपलब्ध करवाने के लिए निर्माण गतिविधियां राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित की जाती है।

♦ वित्तीय परिव्यय एवं व्यय

वर्ष 2007-12 के दौरान किन्नौर जिले में बजट आबंटन तथा उसके प्रति व्यय की वर्षवार स्थिति निम्न **तालिका-29** में दी गई है:

तालिका-29

2007-12 के दौरान प्राप्त निधियां तथा किए गए व्यय की स्थिति

(₹ करोड़)

वर्ष	बजट आबंटन	किया गया व्यय
2007-08	6.66	6.66
2008-09	7.48	7.48
2009-10	9.38	9.38
2010-11	10.31	10.31
2011-12	11.59	11.59
कुल	**45.42**	**45.42**

स्रोत: पुलिस अधीक्षक, किन्नौर द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़े।

2007-12 के दौरान पुलिस आवास के अंतर्गत प्राप्त ₹ 45.42 करोड़ में से ₹ 88.40 लाख की राशि लोक निर्माण विभाग के पास विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए जमा करवाई गई थी तथा अन्तिम व्यय के रूप में दिखाई गई। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा समय-समय पर कार्यकारी अभिकरणों के निस्तारण पर रखी निधियों को दर्शाते हुए लघु तथा मुख्य कार्यों, कार्यों के नामों का विवरण, निष्पादन हेतु लिए गए कार्य, किया गया अद्यतन व्यय एवं कार्यों की वर्तमान स्थिति के कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे। यह अनुबद्ध अवधि के अनुसार कार्यों की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए उनके अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है।

♦ अवसंरचना

अवसंरचना सुविधाएं जैसे पुलिस स्टेशनों के लिए भवन, पुलिस चौकियां, पुलिस कर्मियों के लिए बैरक एवं रिहायशी सुविधाएं (उच्च एवं निम्न अधीनस्थ आवास) पुलिस शोध एवं विकास ब्यूरो मानकों के अनुरूप उपलब्ध करवाई जाती है। मार्च 2012 तक पुलिस शोध एवं विकास ब्यूरो मानकों के अनुरूप रिहायशी/ गैर-रिहायशी आवास की आवश्यकता एवं जिले में इसके प्रति उपलब्धता निम्न **तालिका-30** में दी गई है।

तालिका-30

पुलिस कर्मियों के लिए रिहायशी/ गैर-रिहायशी आवास की उपलब्धता का विवरण

(₹ करोड़)

कर्मचारी वर्ग	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी (प्रतिशतता में)
उच्च अधीनस्थ कर्मचारी के लिए आवास	33	27	06 (18)
निम्न अधीनस्थ कर्मचारी के लिए आवास बैरक	339	63	276 (81)
पुलिस स्टेशन भवन	04	03	01 (25)
स्वागत कक्ष (पुलिस स्टेशन)	04	शून्य	04 (100)
पूछताछ कक्ष (पुलिस स्टेशन)	04	शून्य	04 (100)
विश्राम कक्ष (पुरुष/ महिला के लिए अलग)	04	शून्य	04 (100)
पुलिस स्टेशन में कम्प्यूटर एवं वायरलेस कक्ष	04	शून्य	04 (100)
महिला पुलिस के लिए प्रसाधन	04	शून्य	04 (100)

स्रोत: पुलिस अधीक्षक, किन्नौर द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़े।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उच्च तथा निम्न अधीनस्थ कर्मचारी के लिए रिहायशी आवास 18 *प्रतिशत* से लेकर 81 *प्रतिशत* तक कम थे। इसके अतिरिक्त, जिले में पुलिस स्टेशनों में मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वागत कक्ष, पूछताछ कक्ष, विश्राम कक्ष तथा महिला पुलिस के लिए प्रसाधनों का अभाव था।

♦ पुलिस स्टेशन भवन के पूर्ण होने में विलम्ब

अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि रिकांगपिओ में पुलिस स्टेशन भवन का निर्माण ₹ 95.59 लाख में दो वर्षों में पूर्ण करने की अनुबद्धता के साथ संस्वीकृत किया गया था (सितम्बर 2007)। सितम्बर 2007 में लोक निर्माण विभाग को कार्य सौंपा गया था तथा 2007-12 के दौरान ₹ 43.50 लाख की निधियां भी जमा कर दी गई थी।

सितम्बर 2009 तक पूर्ण करने के लिए निर्धारित भवन अभी तक शुरूआती स्तर पर अपूर्ण है अर्थात् सिर्फ प्लिन्थ कार्य ही प्रगति पर है जैसा कि निम्न छायाचित्रों से देखा जा सकता है:

छायाचित्र: 6

छायाचित्र: 7

रिकांगपिओ स्थिति अपूर्ण पुलिस स्टेशन भवन (20 जुलाई 2012)

पुलिस अधीक्षक ने बताया (जुलाई 2012) कि कार्य स्थल पर किसी के द्वारा अतिक्रमण किया गया था तथा भूमि का सीमांकन करने के बाद कार्य एक ठेकेदार को सौंपा गया था (जनवरी 2011) और यह प्रगति पर है।

इसी प्रकार, रिकांगपिओ में पुलिस लाइन के लिए पुलिस बैरक का निर्माण ₹ 85.49 लाख में इसे दो वर्ष में पूरा करने की अनुबद्धता के साथ अनुमोदित किया गया था (अप्रैल 2007)। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 2007-12 के दौरान लोक निर्माण विभाग के पास कार्य निष्पादन के लिए ₹ 40.20 लाख की राशि जमा करवा दी गई थी जिसके प्रति ₹ 10.91 लाख का व्यय किया गया था तथा कार्य का आगे निष्पादन 2009 से निलम्बित स्थिति में पड़ा है जैसा कि निम्न छायाचित्र में दर्शाया गया है:

छायाचित्र: 8

रिकांगपिओ में पुलिस लाइन के लिए पुलिस बैरक का अवरूद्ध कार्य (20 जुलाई 2012)

पुलिस अधीक्षक ने बताया (जुलाई 2012) कि वर्ष 2009 के दौरान प्लिन्थ बीम तैयार किया गया था उसके बाद कोई प्रगति नहीं हुई क्योंकि कार्य के लिए निविदाएं इस तथ्य के कारण पुन: आमंत्रित की जा रही थी कि मामला मुकदमेंबाजी के अंतर्गत पड़ा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद विभाग/ जिला प्रशासन ने पुलिस कर्मचारी के लिए रिहायशी आवास की समयबद्ध उपलब्धता के लिए मामले को लोक निर्माण विभाग तक प्रभावशाली तरीके से नहीं पहुंचाया। इसके अतिरिक्त, कार्य पूर्णता में आगे देरी के परिणामस्वरूप लागत वृद्धि की सम्भावना है।

♦ शस्त्रों की कमी

पुलिस शोध एवं विकास ब्यूरो ने राज्य पुलिस को दो प्रकार के शस्त्रों को धारण करने की आवश्यकता निर्धारित की है। मार्च 2012 तक इसके प्रति वास्तविक धारणीयता की स्थिति निम्न **तालिका-31** में दी गई है:

तालिका-31
शस्त्र धारणीयता की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

शस्त्र वर्ग	आवश्यकता (पुलिस शोध एवं विकास ब्यूरो के अनुसार मानक)	धारणीयता	कमी	न्यूनता (प्रतिशतता में)
7.62 मि0मी0 एस एल आर राइफल	307	07	300	98
9 मि0मी0 पिस्टल	39	33	6	15

स्रोत: पुलिस अधीक्षक, किन्नौर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शस्त्रों की आवश्यकता पूर्णत: पूरी नहीं की गई थी तथा 7.62 मि0मी0 एस एल आर राइफल्स के मामले में यह बहुत कम था (98 *प्रतिशत*)।

पुलिस अधीक्षक ने बताया (जुलाई 2012) कि वे 7.62 मि0मी0 एस एल आर राइफल्स की जगह .303 राइफल्स तथा 9 मि0मी0 पिस्टल की जगह रिवॉल्वर धारण कर रहे है। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि पुलिस स्टेशन 7.62 मि0मी0 एस एल आर राइफल्स के स्थान पर .303 राइफल्स तथा रिवॉल्वर जैसे पुराने शस्त्रों पर निर्भर रह रहे है जो पुलिस बल की आक्रामक क्षमता को प्रभावित करता है।

♦ मानव संसाधन प्रबन्धन

जिले में मार्च 2012 तक पुलिस कर्मियों के विभिन्न रैंकों की रिक्त स्थिति निम्न **तालिका-32** में दी गई है:

तालिका-32
पुलिस कर्मियों के विभिन्न रैंकों की रिक्त स्थिति

रैंक	संस्वीकृत पद	कार्यरत व्यक्ति	कमी	न्यूनता (प्रतिशतता में)
निरीक्षक	02	01	1	50
उप-निरीक्षक	11	11	0	--
सहायक उप-निरीक्षक	28	27	1	04
मुख्य हवलदार	61	56	5	08
हवलदार	307	283*	24	08
कुल	**409**	**378**	**31**	**08**

स्रोत: विभागीय आंकड़े।
* 15 महिला हवलदार भी शामिल हैं।

उपरोक्त तालिका से यह भी देखा जा सकता है कि मार्च 2012 तक विभिन्न रैंको में संस्वीकृत पदों के प्रति 31 रिक्तियां थी। इसके आगे, आवश्यक 10 *प्रतिशत* प्रतिनिधित्व के प्रति बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र पांच *प्रतिशत* था।

पुलिस अधीक्षक ने बताया (नवम्बर 2012) कि जिला पुलिस में रिक्तियां पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर स्थानान्तरण, पदोन्नति तथा भर्ती करके भरी जाती है।

♦ अपराध दर एवं अन्वेषण

पिछले चार वर्षों (प्रत्येक वर्ष जनवरी से दिसम्बर) के दौरान जिले में अपराधों के पंजीकरण की वर्षवार स्थिति निम्न **तालिका-33** में दी गई है:

तालिका-33

अपराधों के पंजीकरण की वर्षवार स्थिति

अपराध मद	2007	2008	2009	2010	2011	प्रतिशतता वृद्धि (2007-2011)
भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध	214	171	203	197	162	--
विशेष एवं स्थानीय कानून	56	49	77	63	173	209
कुल	**270**	**220**	**280**	**260**	**335**	**24**

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

जहां जिले में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधों की संख्या 2007 में 214 से घटकर 2011 में 162 हुई, वहीं विशेष एवं स्थानीय कानूनों के अंतर्गत 2007 की तुलना में 2011 के दौरान अपराधों में 209 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

वर्ष 2007-12 के दौरान सूचित किए गए, जुर्माना लगाए गए तथा मुकदमा प्रक्रिया के लिए शेष मामलों की स्थिति निम्न **तालिका-34** में दी गई है:

तालिका-34

2007-12 के दौरान सूचित किए गए, जुर्माना लगाए गए तथा मुकदमा प्रक्रिया के लिए शेष मामलों की स्थिति

(मामले संख्या में)

मामला	2007	2008	2009	2010	2011	कुल
सूचित किए गए	270	220	280	260	335	1365
स्वीकार नहीं किए गए	15	14	17	25	28	99
पंजीकृत किए गए	255	206	263	235	307	1266
खोजे नहीं गए	35	21	28	27	34	145
जुर्माना लगाए गए (प्रतिशतता)	220 (81)	185 (84)	235 (84)	208 (80)	273 (81)	1121
दोषी पाए गए	64	46	70	22	10	212
बरी किए गए	83	47	39	23	--	192
समझौता किए गए	15	6	12	13	--	46
वापिस लिए गए	10	12	4	4	--	30
अन्वेषण	--	--	--	--	9	9
अभियोगाधीन	48	74	110	146	254	632

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

उपरोक्त विवरण दर्शाते है कि जहां 2007–11 के दौरान अदालतों में जुर्माना लगाए गए मामलों की प्रतिशतता 80 से 84 *प्रतिशत* के मध्य शेष थी, सम्बन्धित अवधि में प्रक्रियाधीन मुकदमा मामलों की संख्या 2007 में 48 से बढ़कर 2011 में 254 हो गई।

पुलिस अधीक्षक ने बताया (नवम्बर 2012) कि निरंतर वन मामलों के पंजीकरण के परिणामस्वरूप विशेष एवं स्थानीय कानूनों के अंतर्गत अपराध दर में वर्ष 2007 की तुलना में वर्ष 2011 में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई।

सिफारिशें

सरकार विचार करे:

- *पुलिस स्टेशनों में पुलिस कर्मचारियों को पर्याप्त आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना।*
- *कार्यकारी अभिकरणों द्वारा समयबद्ध तरीके से भवन की पूर्णता के लिए कार्य स्थल एवं निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।*